न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आई.ए.एस

अपील संख्याः 145/2022 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2022/181

1. बद्रीनारायण
2. तोलाराम पुत्र
3. हेमाराम पुत्र

} पिसरान रूघाराम जाति कुम्हार निवासी रासीसर बडा बास तहसील नोखा जिला बीकानेर।

4. चंदा पुत्री रूघा पत्नी भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी बाधनू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. भवंरी पुत्री रूघा पत्नी भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी बाधनू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. इंद्रा पुत्री रूघा पत्नी पुरखाराम जाति कुम्हार निवासी बाधनू रातड़िया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. रामनारायण पुत्र हीरा पुत्री रूघा पत्नी गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी बाधनू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. नंदराम पुत्र हीरा पुत्री रूघा पत्नी गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी बाधनू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
9. संतोष पुत्री हीरा पत्नी भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी लालगढ़ तहसील लाडनू जिला नागौर।
10. रामेश्वरी पुत्री हीरा पत्नी कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी लालगढ़ तहसील लाडनू जिला नागौर।
11. छोटी पुत्री हीरा पत्नी मनोज जाति कुम्हार निवासी कातर तहसील बीदासर जिला चूरू।
12. धापू पुत्री हीरा पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी कातर तहसील बीदासर जिला चूरू।
13. सुगनाराम पुत्र आसू (फौत दिनांक 13.12.2020) (अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 14)

13/1 अमनाराम
13/2 मोतीराम
13/3 कल्लाराम
13/4 हडमानराम
13/5 मू. भती
13/6 मू. सुशीला
13/7 मू संतोष

} पिसरान सुगनाराम पुत्र आसूराम जाति कुम्हार निवासी रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा जिला बीकानेर।

14. भीयाराम
15. लिछमणराम
16. सुंदरलाल

} पिसरान परताराम जाति कुम्हार निवासी रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा जिला बीकानेर।

17. रामलाल पुत्र परता (फौत दिनांक 14.11.2021) (अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 16)

17/1 सुमित्रा
17/2 ओमप्रकाश
17/3 मृ. इन्द्रा
17/4 मृ. काली
} पिसरान रामलाल पुत्र परताराम जाति कुम्हार निवासी रासीसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

18. भंवरलाल
19. रतनलाल
20. लिखमीचंद
21. भगवानराम
22. मेघाराम
} पिसरान दीपा जाति कुम्हार निवासी रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा जिला बीकानेर।

23. गीता पुत्री दीपा पत्नी घेवरराम जाति कुम्हार निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर।
24. हरखू पुत्री दीपा पत्नी कुंभाराम जाति कुम्हार निवासी सिंधू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
25. बालू पुत्री दीपा पत्नी राजूराम जाति कुम्हार निवासी नापासर तहसील व जिला बीकानेर
26. माणकचंद पुत्र चूनाराम जाति कुम्हार निवासी रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
27. ओमप्रकाश पुत्र चूनाराम जाति कुम्हार निवासी रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
28. सुवटी पुत्री चूनाराम पत्नी नारायणराम जाति कुम्हार निवासी देसलसर पुरोहितान तहसील नोखा जिला बीकानेर।

29. उदी बेवा गंगाराम
30. रामचन्द्र
31. भोजाराम
32. पुरखाराम
} पिसरान गंगाराम जाति कुम्हार निवासी रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा जिला बीकानेर।

— **अपीलान्ट्स**

बनाम

1. रूकमा पत्नी चांदरतन जाति कुम्हार निवासी रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा जिला बीकानेर।

2. सोहनलाल
3. धुंकलराम
4. जेठाराम
5. चांदरतन
} पिसरान मूलाराम जाति कुम्हार निवासी रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा जिला बीकानेर।

6. करजी पुत्री मूलाराम पत्नी अणदाराम जाति कुम्हार निवासी पुरानी लाईन, डागों का मौहल्ला, गंगाशहर, बीकानेर।
7. सागरमल पुत्र कमला पुत्री मूलाराम पत्नी लूणाराम जाति कुम्हार निवासी पुरानी लाईन, डागों का मौहल्ला, गंगाशहर, बीकानेर।
8. शंकरलाल पुत्र कमला पुत्री मूलाराम पत्नी लूणाराम जाति कुम्हार निवासी पुरानी लाईन, डागों का मौहल्ला, गंगाशहर, बीकानेर।

9. मनू पत्नी रतनलाल जाति कुम्हार निवासी हनुमानजी मन्दिर के पीछे, पूगल रोड, बीकानेर।
10. महती बेवा पूर्णाराम जाति कुम्हार निवासी रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
11. संताराम उर्फ मांगीलाल पुत्र पूर्णाराम जाति कुम्हार निवासी रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
12. मांगी पुत्री पूर्णाराम पत्नी सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी पुराने बस स्टैण्ड के पास, धोरा बास गंगाशहर, बीकानेर।
13. शर्मिला पुत्री पूर्णाराम पत्नी संजयकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार निवासी सुभाषपुरा तहसील व जिला बीकानेर।
14. इलाहाबाद बैंक शाखा रासीसर जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा रासीसर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखा।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री सीताराम बिश्नोई — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 1

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर

निर्णय

दिनांक 02.04.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा जिला बीकानेर के आदेश दिनांक 13.12.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि मौजारोही रासीसर बड़ा के खसरा नं. 1 तादादी 3 हैक्टयर, ख.न. 2 तादादी 3.49 हैक्टयर, ख.न. 9 तादादी 5.42 हैक्टयर, ख.न. 41 तादादी 3.48 हैक्टयर, ख.न. 292 तादादी 1.52 हैक्टयर, ख.न. 293 तादादी 1.52 हैक्टयर, ख.न. 294 तादादी 1.49 हैक्टयर, ख.न. 295 तादादी 1.52 हैक्टयर, ख.न. 444 तादादी 3.26 हैक्टयर, ख.न. 445 तादादी 2.81 हैक्टयर, ख.न. 550 तादादी 5.40 हैक्टयर, ख.न. 551 तादादी 5.92 हैक्टयर, ख.न. 552 तादादी 5.48 हैक्टयर, ख.न. 553 तादादी 6.41 हैक्टयर, ख.न. 563 तादादी 4.60 हैक्टयर, ख.न. 564 तादादी 1.30 हैक्टयर, ख.न. 570 तादादी 5.24 हैक्टयर, ख.न. 571 तादादी 4.94 हैक्टयर, ख.न. 587 तादादी 4.54 हैक्टयर; ख.न. 588 तादादी 5.58 हैक्टयर, ख.न. 629 तादादी 6.13 हैक्टयर, ख.न. 665 तादादी 3 हैक्टयर, ख.न. 666 तादादी 2.91 हैक्टयर, ख.न. 667 तादादी 1.91 हैक्टयर, ख.न. 668 तादादी 0.82 हैक्टयर, ख.न. 677 तादादी 2.09 हैक्टयर, ख.न. 678 तादादी 0.80 हैक्टयर, ख.न. 705 तादादी 6.63 हैक्टयर, ख.न. 713 तादादी 0.12 हैक्टयर, ख.न. 714 तादादी 0.23 हैक्टयर, ख.न. 715 तादादी 3.44 हैक्टयर, ख.न. 719 तादादी 1.59 हैक्टयर, ख.न. 722 तादादी 1.66 हैक्टयर कुल तादादी 107.98 हैक्टयर आसूराम के नाम कृषि भूमि थी। आसूराम के तीन पत्नियां आशा, तखू और लाली हुई। आशा के मूलाराम व मुरलीराम हुए, तखू के रूघाराम व चूनाराम हुए तथा लाली के सुगनाराम, गंगाराम, परताराम व दीपराम हुए। मुरलीराम की मृत्यु के पश्चात भूमि में तखी बेवा मुरलीराम का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज था। तखी बेवा मुरलीराम की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत ने तखी बेवा मुरलीराम के हिस्से में आने वाली 49

बीघ 9 बिस्वा का विरासतन इंतकाल संख्या 268 दर्ज करते हुए उसके हिस्से की भूमि आसूराम के सभी वारिसान के नाम दर्ज कर दी, परन्तु तखी बेवा मुरलीराम ने अपने हिस्से में आने वाली भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 28.05.1985 रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 रूकमा पत्नी चांदरतन के पक्ष में कर दी गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रूकमा पत्नी चांदरतन ने ग्राम पंचायत रासीसर के इंतकाल संख्या 268 दिनांक 21.12.2010 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत रासीसर द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 268 दिनांक 21.12.2010 को निरस्त कर आदेश दिया कि वसीयत के आधार पर सुनवाई कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए इंतकाल तस्दीक किय जावें। उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 13.12.2022 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने दौराने बहस अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 1 की तरफ राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया है कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 13 एक ही पूर्वज स्व. आसूराम के वारिसान हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेस्पोडेन्ट सख्या 5 की पत्नी है। स्व. आसूराम के 8 पुत्र इस प्रकार है— 1. रूघाराम 2. सूगनाराम 3. गंगाराम 4. चुनाराम 5. परताराम 6. दीपाराम 7. मूलाराम एवं 8. मूरलीराम। जिनमें से मूरलीराम के कोई संतान नहीं होने के कारण उसके हिस्से की भूमि उनकी बेवा मू. तखी के नाम दर्ज हुई। मू. तखी बेवा मुरली ने अपने 1/8 हिस्से की रजिस्टर्ड वसीयत सन् 1985 में रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में कर रखी थी। अपीलांट्स को उक्त वसीयत की जानकारी नहीं होने पर राजस्व रिकार्ड में अपने हिस्से के अनुसार अपने हिस्से का विभाजन करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया, जिसकी जानकारी होने पर रेस्पो. सं. 1 ने वसीयत के आधार पर विरासतन दर्ज इंतकाल सं. 268 को उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष चुनौती दी। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. सं. 1 की अपील स्वीकार करते हुए विरासतन दर्ज इंतकाल 268 खारिज कर तहसीलदार नोखा को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए इंतकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान कर दिया, जिसकी अपील अपीलांट्स ने न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। दौराने अपील समाज व गांव के मौजीज व्यक्तियों की समझाइश पर दोनो पक्षकार आपसी सहमति से निस्तारण करने पर सहमत हो गये तथा अपीलांट्स आराजी जैर अपील भूमि में से 1.8336 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 नाम दर्ज करवाना चाहते है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 भी वादगत भूमि के सह खातेदार तखी बेवा मुरली के 1/8 हिस्से बाबत की गई वसीयत में 1.8336 हैक्टेयर भूमि के अलावा शेष भूमि का इंतकाल यथावत रखने व राजीनामा में प्रदत भूमि के अलावा वसीयत के आधार पर कोई क्लेम नहीं करने पर सहमत है। अतः राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा अनुसार अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट्स के हिस्से की 1.8336 हैक्टेयर भूमि कम करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज कर इंतकाल संख्या 268 में संशोधन किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलांट्स के मध्य समाज व गांव के मौजिज व्यक्तियों की मौजूदगी में आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

राजीनामा अनुसार अपील स्वीकार हो जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2022 पारित करते हुए ग्राम पंचायत रासीसर के नामान्तरण संख्या 268 दिनांक 21.12.2010 को निरस्त करते हुए तहसीलदार नोखा को वसीयत के आधार पर सुनवाई कर विधिक प्रक्रिया अपनाकर इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये। इस न्यायालय में अभिभाषक अपीलांट्स ने राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने राजीनामा अनुसार अपील स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2022 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि तहसीलदार अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र व प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों की गहनता से जांच कर नियमानुसार नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/4

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर